राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

क्रमांकः रास्कू.शिप / जय / SIQE / 2018–19 /

जयपुर, दिनांकः 12/9/18

.आदेश

जिला अकादमिक समूह (District Academic Group) का पुनर्गठन

जिले के समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण, जिले में जिला एवं राज्य स्तरीय समान परीक्षाओं के निष्पक्ष एवं गोपनीय आयोजन एवं शैक्षणिक / प्रबन्धकीय गुणवत्ता सम्बन्धी शोध कार्यक्रम आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेकर प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य एवं वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य के सन्दर्भ में पूर्व आदेश क्रमांक उनि / स.शि. / SIQE / DAG / बैठक / 2015–16 / 07 दिनांक 09.02.2015 को अतिक्रमित करते हुए **जिला अकादमिक समूह (District Academic Group)** का पुनर्गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है –

जिला अकादमिक समूह (D.A.G.)

क्रस	पदनाम	समूह पदनाम
1	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान	अध्यक्ष
2	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)	सदस्य सचिव
3	जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	सदस्य
4	जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा	सदस्य
5	अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य
6	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा –प्रथम	सदस्य
7	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा –प्रथम	सदस्य
8	सहायक परियोजना समन्वयक (प्रथम एवं द्वितीय), समग्र शिक्षा अभियान	सदस्य
9	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान (रोटेशन प्रणाली से दो अधिकारी)	सदस्य
10	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम) (रोटेशन प्रणाली से एक अधिकारी)	सदस्य
11	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–द्वितीय (रोटेशन प्रणाली से एक अधिकारी)	सदस्य
12	प्रभारी, एसआईक्यूई एवं प्राथमिक अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा, डाइट	सदस्य
13	प्रभारी, प्रशिक्षण (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर) डाइट	सदस्य
14	प्रभारी शोध अध्ययन, डाइट	सदस्य
15	प्रभारी, प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण परीक्षा, डाइट	सदस्य
16	व्याख्याता, डाइट (विषयवार संकाय सदस्य)	सदस्य
17	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (रोटेशन प्रणाली से एक अधिकारी)	सदस्य
18	हैड टीचर, एसआईक्यूई प्रभारी (माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय) (रोटेशन प्रणाली से एक शिक्षक)	सदस्य
19	मेन्टर शिक्षक (पूर्व प्राथमिक शिक्षण प्रभारी) (रोटेशन प्रणाली से एक शिक्षक)	सदस्य

उक्त समिति **जिला अकादमिक समूह** के रूप में जिले की शैक्षिक गुणवत्ता हेतु निम्नलिखित कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी –

- जिले में शैक्षिक गुणवत्ता एवं विकास सम्बन्धी मुद्दों के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी।
- शैक्षणिक गुणवत्ता से सम्बन्धित तकनीकी दस्तावेज़ों को तैयार करने, प्रमाणित करने, शिक्षण एवं प्रशिक्षण पाठ्य सामग्री के निर्माण, अनुमोदन एवं समीक्षा, परीक्षा आयोजन हेतु अधिकृत होगी।
- शिक्षक प्रशिक्षणों के मॉड्यूल निर्माण, प्रशिक्षण आयोजन की कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी रहेगी।

www.rajteachers.com

- जिले में शैक्षिक उन्नयन हेतु किए जाने वाले कार्यों का अवलोकन कर, गुणवत्ता वृद्धि की दृष्टि से बदलाव/सुझाव देने के लिए अधिकृत होगी।
- जिले में सभी प्रकार के शोध अध्ययनों हेतु आवश्यक कार्य योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु अधिकृत होगी।
- जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु कमजोर/कठिन पक्षों को चिन्हित कर सुधार हेतु आवश्यक कार्ययोजना निर्माण के लिए उत्तरदायी होगी।
- प्रत्येक दो माह में एक बार बैठक का आयोजन किया जाएगा एवं पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना की समीक्षा/सुनिश्चित की जाएगी।

2/9/18

(नरेशपाल गंगवार)
प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

क्रमांकः रास्कूलशिप/जय/SIQE/2018–19/ 6341 **दिनांकः** 12/9/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. उप शासन सचिव (आयोजना), प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निदेशक, एससीआरटी, उदयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक – प्रथम, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
10. निजी सहायक नियन्त्रक वित्त, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
11. समस्त उपायुक्त/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
13. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
14. प्राचार्य, डाइट, समस्त जिले।
15. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा – प्रथम, समस्त जिले।
16. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा – प्रथम, समस्त जिले।
17. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
18. अति0 जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा – प्रथम, समस्त जिले।
19. अति0 जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा – प्रथम, समस्त जिले।
20. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त ब्लॉक।
21. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम), समस्त ब्लॉक।
22. अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–द्वितीय, समस्त ब्लॉक
23. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त पंचायत।
24. कार्यालय प्रति।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
आयुक्त,
राजस्थान स्कूल शिक्षा एवं
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
जयपुर

www.rajteachers.com